

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pladers where relevant
<p>28/3/17</p> <p>04:00 P.M.</p> <p>To</p> <p>04:15 P.M.</p>	<p>आवेदक राममजन द्वारा श्री टीपीएस तामर अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बीएस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>फरियादी दशरथ सिंह सहित श्री एस.एस. तामर अधिवक्ता उपस्थित में पेश।</p> <p>फरियादी की ओर से स्वयं के आधार कार्ड की फोटोप्रति एवं आवेदन पेश किया गया।</p> <p>थाना एण्डोरी से अपराध क्रमांक 23/2017 अंतर्गत धारा-326, 323, 294, 506 एवं 34 भा0कास0 की कैफियत य केस जायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 भा0कास0 के साथ आवेदक के दामाद चिम्मन सिंह का शपथपत्र पेश किया गया है, आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया गया है, कि यह आवेदक राममजन का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है, इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है, न प्रस्तुत किया गया है और न ही निराकृत किया गया है। ऐसा ही केस जायरी से भी स्पष्ट है।</p> <p>आवेदन पर समयमस के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक की ओर से द्यक्त किया गया है, कि यह ग्राम आलौरी के पुश का स्टाई मूल निवासी होकर 82 वर्षीय पृष्ठ व्यक्ति है, फरियादी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को विरुद्ध झूठा अपराध, अपराध क्रमांक 23/2017 अंतर्गत धारा-326, 323, 294, 506/34 भा0कास0 का पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि आवेदक का तथ्याकथित अपराध के किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है, उसे रजिशन झूठा फंसाया गया है, दिनांक 05/03/17 को फरियादी दारु पीकर आवेदक के दरवाजे के सामने बुरी-बुरी गालियां दे रहा था और आवेदक से दारु पीने के लिए पैसे मांग रहा था, जब आवेदक अपने घर से दरवाजे पर आया तो फरियादी दशरथ आवेदक की जेब में रखे 100/-रुपए लेकर भागा और भागते हुए रास्ते में मुंह के बल रास्ते में जले पत्थरों पर गिर गया, जिससे उसके हाठ में चोट आई, तथ्या फरियादी वर दांत 5-6 वर्ष पूर्व ही गिर गया था और फरियादी ने वर्तमान में नकली दांत लगाया लिए है, उन्हें ही निकालकर फरियादी ने पुलिस से साठगाठ कर झूठा अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। इसी कारण पुलिस थाना एण्डोरी उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयत्नशील है, और उसे गिरफ्तार कर यातनाएं देना चाहती है, यदि पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार</p>	<p>CD मय अग्रिम अग्रिम 515</p> <p>98/10/17</p>

कर लिया गया तो समाज में उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। फरियादी ने उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से मौखिक रूप से विशेष किया गया और आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

फरियादी दशरथ सिंह ने व्यक्त किया है, कि उसे भागते हुए खरंजे पर गिरने से हाँठ पर चोट आई थी, वह पक्का लिखा नहीं है। उसका व अभियुक्तगण का राजीनामा हो गया है, उसे जमानत दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस जायरी का अध्ययन करने पर स्पष्ट है, कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 05/03/17 को रात्रि 10:30 बजे के लगभग ग्राम आलौरी के पुरा में फरियादी दशरथ जाटव के द्वारा आवेदक राममजन से लघारी के दस हजार रुपए मांगने पर राममजन ने उसे अश्लील गालियाँ दी एवं राममजन ने उसे पकड़ लिया, तथा अविनाश उर्फ गुरुवचन ने उसे हंसिया मारा जो उसके हाँठ पर लगा और जिससे उसका दाँत टूट गया। आकाश ने उसे लाठियों मारी। उक्त घटना की रिपोर्ट थान एण्डोरी में की गई।

फरियादी ने उपस्थित होकर अभियुक्तगण से राजीनामा करना व्यक्त किया है, परंतु इस स्तर पर गुणदोषों पर विचार नहीं किया जाना है, अभियोजन के अनुसार राममजन जाटव ने फरियादी दशरथ को पकड़ा है और उसके पुत्र अविनाश ने उसे हंसिया मारा है और आकाश ने लाठियों से मारा है, एम.एल.सी रिपोर्ट में नीचे वर दाँत डन्साइजर टूटा हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियाँ तथा तथ्यों को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

केस जायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जाये।

जमानत प्रपत्र नतीजा दर्ज करने के बाद अभिलेखागार में भेजा जाये।

(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला मजिस्ट्रेट